Annexure-5

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, बांसवाड़ा (राजस्थान)
(उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा)

क्रमांक/एफ ( )राजस्व/2015/335-38 दिनांक :- 14/09/2015

श्री रंजय शरण,
मुख्य अभियन्ता, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.
माही बांसवाड़ा प्रोजेक्ट ग्रुप, 8-1-10 नाभिकीय उर्जा भवन अणुशक्ति नगर,
मुम्बई 400094

विषय :- माही बांसवाड़ा न्युक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट 4X700 मेगावाट हेतु निजी खाते की अवाप्त योग्य भूमि का हितबद्ध व्यक्तियों को देय मुआवजा राशि के अवार्ड अनुमोदन पश्चात राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
प्रसंग :- श्रीमान् जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के पत्रांक एफ 4 (4) राज. /2014/3758 दिनांक 03.9.2015 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाड़ा न्युक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट 4X700 मेगावाट हेतु निजी खाते की अवाप्त योग्य भूमि का हितबद्ध व्यक्तियों को देय मुआवजा राशि के अवार्ड शासन सचिव ऊर्जा विभाग के पत्रांक प. 16 (6) उर्जा/12 जयपुर दिनांक 29.08.2015 से तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा के ग्राम बारी, रेल, आड़िभीत, कटुम्बी, सजवानिया व तहसील आंबापुरा के ग्राम खाण्डियादेव की निजी खातेदारी एवं गैर खातेदारी भूमि सम्मिलित है, का हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा राशि रूपया 4,15,93,52,128/- (अक्षरे रूपया चार अरब पन्द्रह करोड तिरानवे लाख बावन हजार एक सौ अठाइस मात्र) का अन्तिम अवार्ड का निर्देशानुसार अनुमोदन होकर प्राप्त हुआ है।

अतः हितबद्ध व्यक्तियों को भुगतान हेतु उक्तानुसार राशि उपलब्ध करावे।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बांसवाड़ा

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान् शासन उप सचिव महोदय, राजस्थान सरकार उर्जा विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बांसवाड़ा।
3. मुख्य अभियन्ता, न्युक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, मुम्बई कैम्प बांसवाड़ा ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बांसवाड़ा

दिनांक 15.10.2014 को आदिवासी संघर्ष समिति द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बांसवाड़ा के [illegible] 21 [illegible] के नाम प्रस्तुत किये। कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राजस्थान) के पत्रांक एफ 4 (4) राजस्व/2014/3498–99 दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को कोर कमेटी का गठन किया गया। दिनांक 12.12.2014 को बैठक अपरिहार्य कारण से कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित नही होने से विचार विमर्श नही किया जा सका। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के सभाकक्ष में दिनांक 24.12.2014 को बैठक आयोजित किये जाने कोर कमेटी के सदस्यों को सूचित किया गया। दिनांक 24.12.2014 को बैठक आयोजित की जाकर 21 सुत्री मांगों पर क्रमवार बिन्दुओं पर विचार विमर्श हुआ एवं आगामी बैठक पंचायत राज चुनावों के बाद वर्ष 2015 के फरवरी माह में रखा जाना तय हुआ।

कार्यालय पत्रांक एफ ( ) राजस्व/2012/101 दिनांक 11–03–2015 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता न्युक्लियर पावर कॉपरेशन ऑफ इण्डिया लि. मुम्बई कैम्प बांसवाड़ा को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 26 राज्य की उपधारा (2) सपठित अनुसूची प्रथम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पेकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य के कारकों से गुणा किये जाने निर्देश के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। मांगों के बारे में अवगत कराते हुये हितबद्ध व्यक्तियों के लाभ हेतु सुझाव दिये जाने सूचित किया गया।

कार्यालय पत्रांक राज/2015/43 दिनांक 27–03–2015 द्वारा माही बांसवाड़ा राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में श्री रंजेय शरण मुख्य अभियन्ता से अवाप्त भूमि के मुआवजा एवं आर एण्ड आर पेकेज के सम्बन्ध में चर्चा की गई। जिसमें आर एफ सी टी– एल ए आर आर एक्ट 2013 मय संशोधन आरडिनेन्स 2014 के तहत मुआवजे पर वार्ता की गई।

जिला कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा (राज.) के अध्यक्ष, जिला प्रमुख बांसवाड़ा, प्रधान पंचायत समिति छोटीसरवन ने दिनांक 07.05.2014 को महामहीम राष्ट्रपति महोदय भारत नई दिल्ली को न्यूक्लियर पावर प्लान्ट से विस्थापित होने वाले जनजाति क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने निवेदन किया गया।

दिनांक 27.05.2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विचार विमर्श होने पर परमाणु बिजलीघर हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि के लिये प्रारंभ तौर पर कार्यालय द्वारा जारी किये गये ड्राफ्ट अवार्ड आर. एण्ड आर. (पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास) की गांववाईज सूचियां विधायक विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा एवं प्रधान पंचायत समिति छोटी सरवन को उपलब्ध करा गांव वालों को बताने एवं उक्त सूचियों में हितबद्ध व्यक्तियों के नाम रह गये अथवा छुट गये हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे सूचित कराना तय किया गया।

दिनांक 14.06.2015 को मुख्य अभियन्ता न्युक्लियर पावर कॉपरेशन ऑफ इण्डिया लि. ने भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा को पत्र से राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में सभी निर्णय पर अपनी सहमति जताई।

दिनांक 17.06.2015 को आदिवासी किसान संघर्ष समिति छोटी सरवन बांसवाड़ा ने उनकी अनुशंषा होने पर सर्वे कार्य किये जाने एवं वार्तालाप करने सूचना प्रेषित करने निवेदन किया गया।

दिनाक 29.06.2015 को मुख्य अभियन्ता न्युक्लियर पावर कॉपरेशन ऑफ इण्डिया लि. ने सभी भूमि अवाप्ति से प्रभावित जमीन पर कटुम्बी गांव का अधिकतम डी एल सी सामान्य तौर पर सभी छः गांवों पर दिये जाने के लिए सहमति जताई।

कार्यालय पत्रांक 718–45 दिनांक 30.07.2015 द्वारा अवाप्ताधीन ग्राम के खातेदारों की अचल सम्पत्तियों यथा पेड़, मकान, कुआ इत्यादि के भौतिक सत्यापन हेतु ग्रामवार दल गठित कर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 08.08.2015 तक प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया। अवाप्ति मे आने वाली भूमि मे स्थित परिसम्पतिया मकान, पेड , कुआं आदि का सर्वेक्षण तथा मकानों, कुओं आदि का तकनीकी अधिकारी द्वारा परिमापन एंव मुल्याकन किया गया ।

अनुमोदित

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बांसवाड़ा

अवार्ड जारी कर संबंधित कृषकों को राशि का भुगतान शीघ्र कर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही दिनांक 30–8–2015 तक करवादे, अन्यथा उक्त अवार्ड की राशि राज्य सरकार द्वारा निरस्त (लेप्स) कर दी जावेगी, के सम्बन्ध में अवार्ड की कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। प्रभावित कृषकों द्वारा शुरू से ही उच्चतम भूमि बाजार दर दिलाने की मांग को ध्यान में रखते हुए नवीन भूमि अधिनियम की धारा 26 (1) बी में दिये गये प्रावधानों को ध्यान में रखते हुवे तथा आदिवासी संघर्ष समिति की मांग के आधार पर एन पी सी आई एल के पत्र दिनांक 29.01.2015 के अनुसार जिन ग्रामों की भूमि अवाप्ताधीन है उसमें से ग्राम कटुम्बी की डी एल सी दर जो अधिकतम है उसके आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। बांसवाड़ा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जिन ग्रामों की भूमि अवाप्ताधीन है उसमें 99 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। अतः नवीन अधिनियम की धारा 28 (7) के अनुसार प्रभावित कृषकों को रूपया 4.00 लाख प्रतिबीघा कृषि भूमि एवं आवासीय सम्परिवर्तन की गई भूमियों हेतु सड़क के पास हेतु 140.01 प्रति वर्गफीट सडक से दूर और 96.12 प्रति वर्गफीट अतिरिक्त देने का निर्णय, समानता, न्याय के सिद्धान्त के आधार पर किया गया। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन निति के अनुसार रूपया 2.00 लाख बीघा प्रति परिवार अतिरिक्त देने का निर्णय तथा प्रभावित परिवारों में से हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूची (3) के तहत आर एण्ड आर कॉलोनी बनाने के लिए एन पी सी आई एल प्रतिबद्ध है।

माही बांसवाड़ा न्युक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट 4X700 मेगावाट हेतु अवाप्ति होने वाली वास्तविक भूमि का वर्तमान में विवरण :–

Land	Village	Govt. land	Private Land (Khatedars and Gair-Khatedar)	Forest Dept. Land	Total Land
Main Plant including area for CISF barracks and emergency Guest House	Adhibheet	265.04	655.12	22.02	942.18
	Bari	277.00	926.03	152.12	1355.15
	Rel	90.09	480.18	36.10	607.17
	Sajwania	36.15	168.07	174.06	379.08
	Kutumbi	22.10	146.17	66.18	236.05
Sub Total		691.18	2377.17	452.08	3522.03
Township	Khandiadev	52.17	306.19	-	359.16
Total	6	744.15	2684.16	452.08	3881.19

श्रीमान् जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के उक्त निर्देशों के क्रम में अवाप्ताधीन भूमि के वास्तविक मूल्य का निर्धारण, बाजार दर दिनांक 07–06–2012 पर निर्धारित की गई। उपपंजीयक बांसवाड़ा से ग्राम आडीभीत, बारी, रेल, सजवानिया, कटुम्बी, तहसील छोटीसरवन ग्राम खाण्डियादेव तहसील आंबापुरा के संबधित दिनाक 03.09.2012 की डीएलसी दर की प्रति प्राप्त कर संलग्न पत्रावली की गई तथा उपयुक्त आधार पर सम्बन्धित भूमि अवाप्ति अधिकार प्रत्येक प्रकरण में भूमि के मुआवजे एवं सोलेशियम की राशि की पृथक–पृथक गणना कर उसका सम्बन्धित भूमि स्वामी को भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त नियमानुसार दर ब्याज 12 प्रतिशत ब्याज राशि की गणना धारा 4 (1) की अधिसूचना दिनांक 03.09.2012 से आज दिनांक तक कुल 1081 दिन की जाकर नियमानुसार सम्मिलित की गई। प्रभावित काश्तकारों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हेतु भूमि अर्जन के नवीन बिल के प्रावधानों के परिपेक्ष्य अनुसार निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की गई।

भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 23 (1–ए) के अनुसरण में दिनांक 07–06–2012 को धारा 4 की अधिसूचना जारी की गई थी । उक्त अधिसूचना की दिनांक से आज निर्णय दिनांक कुल 1081 दिन के लिए भूमि कीमत पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का भुगतान भी देय होगा । उक्त राशि के भुगतान बाबत मुख्य अभियन्ता न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, माही बांसवाड़ा प्रोजेक्ट ग्रुप, 8–1–10, नाभिकीय उर्जा भवन, अणुशक्ति नगर, मुम्बई–400094 की सहमति होने से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

अनुमोदित